मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल
परिपत्र

क्रमांकः 01–13/13 /जबलपुर, दिनांक 01 –04–2010

मण्डल ने मध्य प्रदेश शासन, (आचरण) नियम 1965 को ग्राह्य किया है जिसके नियम 19 (1) के अनुसार प्रत्येक मण्डल सेवक किसी भी सेवा या पद पर उसके पहली बार नियुक्त होने पर तथा उसके पश्चात् ऐसे अंतरालों पर, जो मण्डल द्वारा उल्लेखित किये जायें, अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां देते हुए ऐसे फार्म में जो कि मण्डल द्वारा विहित किये जायें, प्रस्तुत करेगा :–

(क) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई (inherited) या उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके स्वयं के नाम से अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित स्थावर (अचल) संपत्ति । (चतुर्थ श्रेणी के सेवकों के लिये लागू नहीं)

2. इस संबंध में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र सी–5–1/2010/3/एक दिनांक 15 फरवरी 2010 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के प्रत्येक प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी द्वारा अचल संपत्ति का विवरण संलग्न फार्म में 20 अप्रैल 2010 तक विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावे ताकि उनकी अचल संपत्ति का विवरण मण्डल/कंपनी की बेवसाइट पर दिनांक 30 अप्रैल 2010 तक प्रकाशित की जा सके । मण्डल अधिकारी/कर्मचारी के मामलों में संबंधित विभागाध्यक्ष एकजाई अचल संपत्ति विवरण सीधे प्रमुख (कम्प्यूटर पद्वति एवं संचलन) को प्रेषित करेंगे तथा कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अचल संपत्ति विवरण की जानकारी संबंधित कंपनियों के सचिवालय द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर कंपनियों की बेवसाईट पर आवश्यक रूप से 30 अप्रेल 2010 तक प्रकाशित की जाएगी ।

3. विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रक अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी अचल संपत्ति विवरण यथा समय प्रस्तुत करे ।

4. उपरोक्त जानकारी प्रतिवर्ष बेवसाईट पर अद्यतन की जाएगी । इस संबंध में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अचल संपत्ति विवरण प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक संबंधित विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करे ताकि जानकारी को अद्यतन किया जा सके । अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

5. इस परिपत्र के जारी करने के फलस्वरूप पूर्व में परिपत्र क्र. 01–05/III/298/ दिनांक 31.1.2002 के साथ संलग्न अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने संबंधी फार्म अधिक्रमित किया जाता है ।

संलग्नः– अचल संपत्ति फार्म ।

आदेशानुसार

(संतोष तिवारी) 1/5/10
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(कार्मिक)
म.प्र.राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर

क्र. 01–13/14 /जबलपुर, दिनांक 01 –04–2010
प्रतिलिपि अग्रेषित :–

1 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा. ट्रास. कंपनी लिमि./म. प्र. पा. जनरेटिंग कंपनी लिमि./म. प्र. पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित. कं. लि. जबलपुर/ भोपाल/इन्दौर.
2. वित्तीय सलाहकार, म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।

फार्म
अचल संपत्ति विवरिणका वर्ष ————————

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष ————————————

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम ————————————————————
2. वर्तमान धारित पद ————————————————————————————
3. कार्यालय का नाम ————————————————————————————
4. वर्तमान वेतन ————————————————————————————
5. भविष्य निधि क्रमांक ————————————————————————————
6. कर्मचारी संख्या ————————————————————————————

उस जिले उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर ————————————————

नाम ————————————————

पद ————————————————

0 जहां लागू न हो काट दीजिए

00 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

000 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी– मण्डल द्वारा ग्राहय म0प्र0 शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे ।